राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2006/00102
अपील संख्या 179/06 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हुव्वन सिंह
2. पीतम
3. भूपसिंह — पिसरान देवीसिंह — अकवाम जाट निवासी कस्वा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर
4. रघुवीरसिंह
5. मुस0 गुड्डी पत्नि वीरेन्द्र सिंह

.....अपीलांटान

बनाम

1. महाराजसिंह — पिस0 हरदम जाति जाट निवासी कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर
2. हिम्मतसिंह

.....असल.रेस्पोडेन्ट

3. तहसीलदार /सब रजिस्टार डीग जिला भरतपुर।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डीग जरिये शाखा प्रबंधक डीग।
5. टेनपाल — पुत्रगण हुव्वन जाति जाट निवासी कस्वा डीग जिला भरतपुर
6. समन्दर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 आर.टी.ए विरूद्ध
निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2006
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग
वमुकदमें उनवानी महाराजसिंह बनाम
समंदर सिंह पत्रावली संख्या 84/2000

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह एड.
वकील रेस्पोडेन्ट श्री पंकज कुमार

निर्णय दिनांक 04.10.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा 2700/0.56, 2685/1.39, 2697/1.09,2698/0.96,2668/0.13 ,2658/0.10,2659/0.31, 2660/0.36, 2712/0.11, 2713/0.24,2714/0.30, 2715/0.09,2716/0.19,2724/0.34,2725/0.08,2644/0.25,2672/0.46, 2679 /0.28 ,2717/1.21,2638/0.14,2639/0.47,2642/0.28,2643/0.26,2661/ 0.35, 2662/0.35,2663/0.21,2664/0.17,2665/0.10,2666/0.14,2667/0.45, 2668 /0.11,2669/0.14,2670/0.28,2671/0.18,2673/0.39,2674/0.82, 2675/0.09,2707/0.27,2718/0.29,2719/0.28,2720/0.56,2721/0.31, 2722

सत्यमेव जयते
Web Copy - NOT Official

/ 0.23,2723 / 0.33,2644 / 3984 / 0.16 वाके ग्राम कस्वा डीग भरतरपुर में स्थित हैं। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी में से खसरा नं. 2644 अपीलार्थी का क्रयशुदा है एवं 2672 जर्ये डिक्री प्राप्त हुआ हैं। खसरा नं 2288, 2289 सैटलमेट द्वारा गलत दर्ज , 2698, 2659,2660, 2713, 2714, 2715 एवं 2725 संयुक्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने 1982 की जमाबंदी के आधार पर निर्णय पारित किया है जो रिलीवेंट नहीं है। खातेदारी अधिकारों में सम्वत 2012 की जमाबंदी ही रिलीवेंट है। पक्षकारों के अधिकार निर्धारित करने के अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है अतः अधोनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने पारिवारिक सजरा को स्वीकार किया है। विवादित आराजी जिसके विषय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की गई है। वह पुश्तैनी साबित है अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने के कारण अपील खारिज की जावें।

बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था एवं उसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई थी अतः अतिरिक्त साक्ष्य हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। खसरा नं. 2644 एवं 2672 को पहले से ही ध्यान में रख लिया गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय में कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 04.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपर

डिकरो व सीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)

Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**

व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2006 / 00102

अपील संख्या 179 / 06 (223 आर.टी.एक्ट.)

उनवान

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हुव्वन सिंह
2. पीतम
3. भूपसिंह — पिसरान देवीसिंह — अकवाम जाट निवासी कस्वा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर
4. रघुवीरसिंह
5. मुस0 गुड्डी पत्नि वीरेन्द्र सिंह

.....अपीलांटान

बनाम

1. महाराजसिंह — पिस0 हरदम जाति जाट निवासी कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर
2. हिम्मतसिंह

.....असल.रेस्पोडेन्ट

3. तहसीलदार / सब रजिस्टार डीग जिला भरतपुर।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डीग जरिये शाखा प्रबंधक डीग।
5. टेनपाल
6. समन्दर — पुत्रगण हुव्वन जाति जाट निवासी कस्वा डीग जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 आर.टी.ए विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग वमुकदमें उनवानी महाराजसिंह बनाम समंदर सिंह पत्रावली संख्या 84 / 2000

यह अपील .....04.....माह.....10.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री राजेन्द्र सिंह एड. मिनजानिब अपीलाण्ट व श्री पंकज कुमार मिनजानिब रेस्पोडेंट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय में कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं।

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये.....
.....अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख**.....04**
.....माह**.....10**.....सन्.....**2018**.....को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Web Copy Not Official